

21/5/24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय द्वारा की राजस्थान
 काश्तकारी अधिनियम 1955 को सुनने का क्षेत्राधिकार
 है। चूंकि अपील द्वारा-75 लेण्ड रैवेन्यू एक्ट के
 अन्तर्गत आती है एवं न्यायालय द्वारा की इसका
 क्षेत्राधिकार नहीं होने से न्यायालय उपरोक्त
 अधिनियम गिरा की पुनः लौटाया जा रहा है। प्रकरण
 आगामी पेशी दिनांक 2/7/24 को पेश है।

